


(संशोधित)

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग के मॉपअप चक्र हेतु दिशानिर्देश

1. ऐसे अभ्यर्थी, जो नीट यू0जी0 2022 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हो एवं प्रथम चक्र अथवा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं करा पाये हो, उन्हें मॉपअप चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिये निर्धारित पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा करते हुए आनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
2. यदि पंजीकृत अभ्यर्थी को प्रथम एवं द्वितीय चक्र में कोई सीट आवंटित नहीं हुयी है (जिन्होंने अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नोडल सेन्टर पर नहीं कराया है) और वह मॉपअप चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उसे पुनः पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाइस फिलिंग करते हुये प्रतिभाग करेंगे।
3. यदि अभ्यर्थी यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2022 के माध्यम से आयुष विधा में प्रवेशित है तथा वह अपनी विधा परिवर्तित करना चाहता है, उसे मॉपअप चक्र में प्रतिभाग करने के लिए सम्बन्धित कालेज से दिनांक 24.02.2023 रात्रि 11:59 तक नियमानुसार त्यागपत्र देकर च्वाइस फिलिंग कर सकता है। अभ्यर्थी को भौतिक सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग-2022 की प्रथम या द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी (विधा परिवर्तन को छोड़कर) मॉपअप चक्र हेतु अर्ह (पात्र) नहीं होंगे।
5. मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुये मॉपअप चक्र की आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
6. अभ्यर्थी यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग 2022 विवरणिका में (विशेषतः मापअप चक्र हेतु पृष्ठ क्रमांक 09) में दिये गये दिशा निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग ले एवं समय-समय पर वेब साइट का अवलोकन करते रहें ताकि काउन्सिलिंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं की जानकारी मिलती रहे।
7. यदि अभ्यर्थी ने पूर्व चक्रों (प्रथम, द्वितीय) की काउन्सिलिंग में पंजीकरण करा लिया है एवं पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया है परन्तु धरोहर धनराशि जमा नहीं की है तो वह अभ्यर्थी मॉपअप चक्र की काउन्सिलिंग में केवल धरोहर धनराशि जमा कर प्रतिभाग कर सकता है।
8. वह अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में निर्धारित प्रारूप में आरक्षण हेतु (यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउन्सिलिंग 2022 के नियमानुसार) प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, वह यदि अपना दावा किसी श्रेणी/उपश्रेणी में करना चाहता है, तो वह आयुष काउन्सिलिंग की मेल पर प्रार्थना पत्र एवं

सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित दिनांक-23.02.2023 रात्रि 11:59 तक भेज दे, जिससे उसकी श्रेणी/उपश्रेणी में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सके।

9. अभ्यर्थी ने यदि प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड करने में कोई त्रुटि की है अथवा अद्यतन प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहता है तो वह मॉपअप चक्र की काउन्सिलिंग में पुनः प्रमाण पत्रों को अपलोड के विकल्प हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्रों सहित आयुष काउन्सिलिंग की मेल पर दिनांक-23.02.2023 रात्रि 11:59 तक भेज दे, जिससे अभ्यर्थी के स्टेटस में परिवर्तन किया जा सके। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी तदनु रूप अभिलेख/प्रमाण पत्र पुनः अपलोड कर सकेगा।
10. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रू०-20,000.00 धरोहर धनराशि जमा कराते हुए राजकीय महाविद्यालयों की सीटों के लिए पंजीकरण कराया है, किन्तु वे निजी महाविद्यालयों की सीटों हेतु भी अभ्यर्थन करना चाहते हैं, वह लिखित रूप से हेल्पलाइन ई-मेल के माध्यम से अपना आवेदन तत्काल काउन्सिलिंग बोर्ड को दिनांक-23.02.2023 रात्रि 11:59 तक उपलब्ध करा दे, जिससे धनराशि रू०-50,000.00 (रू० पचास हजार) मात्र जमा करने के विकल्प को री-सेट कर, यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।
11. अभ्यर्थी अपने प्रार्थना पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर, नीट रोल नम्बर, आल इण्डिया रैंक एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।
12. अभ्यर्थी की पात्रता का अन्तिम निर्धारण अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सुनिश्चित होगी।
13. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं वह दिनांक-23.02.2023 को अपने मूल अभिलेखों के साथ नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपना दावा साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।


(प्रो० अरविन्दकुमार शर्मा)
सदस्य-सचिव

यू०पी० आयुष यू०जी० काउन्सिलिंग बोर्ड-2022